

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

18/2023/2023

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

पेशी

2023/18

श्री

श्री 18/2023/2023-7


चेना राम बनाम भेरु वगेरह (18/2023)

-16523

यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांटस के द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते आज ही शीघ्र सुनवाई कर निरस्त किये जाने अपील हेतु पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाने चाहते है और अपील को नोट प्रेस/विज्ञावल करना चाहते है। अपीलांट संख्या 01 ने अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति स्वयं के हस्ताक्षर किये प्रस्तुत की हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 06 के मुख्यतयारआम रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 भेरु स्वयं उपस्थित हुए, यदि अपील नोट प्रेस/विज्ञावल की जाती है, तो उनको किरसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलांट संख्या 01 स्वयं एवं अभिभाषक अपीलांटस उपस्थित होकर बताया कि शेष अपीलांटस भी अपील को आगे नहीं चलना चाहते है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील को आगे नहीं चला कर, अपील को नोट प्रेस में खारिज करना चाहते है।

अतः अपील अपीलांटस नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।


अज अदालत प्राधिकारी
अजमेर



चेना राम
ID no
8.12.2023

10/1/22



न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जी, अजमेर

अपील डिक्री टी.ए.सं०/18 /2023 जिला अजमेर

33

2023/18

~~श्री श्रीमद्वेदुमिह एडवोकेट~~

~~उपरील पक्ष 20/1 अपील~~

~~वादा जॉय रिपोर्टदार~~

~~पेशवा /~~

अपील अधिकारी
अजमेर

9/1/23

1. चेनाराम पुत्र श्री प्रभू जी
2. हनुमान पुत्र भीमा
3. भंवरी पत्नि महाराम
4. अमान पुत्र महाराम
5. गणपत पुत्र महाराम
6. शम्भू पुत्री महाराम
7. बरमा पुत्री महाराम (महाराम पुत्र थाना) जाति रेबारी निवासी ग्राम भैरुखेडा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

.....अपीलाण्ट

बनाम्

- 1 / भैरू पुत्र मनरूप
- 2 / जीवण पुत्र मनरूप
- 3 / छगन पुत्र मनरूप
- 4 / प्रकाश पुत्र मनरूप
- 5 / श्रीमती जानी बाई बेवा मनरूप (मनरूप पुत्र राम)
- 6 / भंवर पुत्र रामा समस्त जाति रेबारी निवासी ग्राम भैरुखेडा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

.....असल रेस्पोडैन्ट/वादी

- 7 बालू पुत्र जेटू जाति रेबारी निवासी ग्राम भैरुखेडा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर।

..... रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2022 जो उपखण्ड अधिकारी जी मसूदा जिला अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 141/2011 (2011/00150) बउनवानी मनरूप वगैरह बनाम् चेनाराम वगैरह में पारित किया गया ।

मान्यवर जी,

अपीलार्थी माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि :-